F.No. CD-11012/01/2022-Coord.
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Coordination Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 11th April, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of March, 2022.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of March, 2022 is enclosed herewith for information.

(Rakesh Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Email: rakesh.kumar1@nic.in

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of March, 2022.

1. **Award and Construction of National Highways:** The Ministry has constructed 10,457 Km of National Highways up to March in 2021-22, as compared to 13,327 km constructed up to March in 2020-21. The achievement is despite Corona Pandemic. The award figure is 12,731 km during this period as compared to 10,964 Km in the previous year.

2. **Deferment of the date of implementation for emission norms (TREM IV) for tractors, combine harvesters and power tillers:** This Ministry, vide draft notification dated 31st March 2022, has proposed to defer the date of implementation of emission norms (TREM IV) for tractors, combine harvesters and power tillers from 1st April, 2022 to 1st October, 2022 i.e by six months. Comments and objections have been solicited from concerned stakeholders within a period of thirty days.

3. **Inter-Country Non-Transport (personal) Vehicle Rules,2022:** This Ministry issued a draft notification for Inter-Country Non-Transport (personal) Vehicle Rules, 2022 dated 16.03.2022. These rules propose to formalize the movement of Non-Transport (personal) vehicles registered in other countries when entering or plying in the territory of India. The documents, viz. valid RC, DL/International Driving Permit, Insurance Policy and PUC, are required to be carried in the vehicle(s) operating under Inter-Country Non-Transport Vehicle Rules during the duration of stay in the country. Motor vehicles registered in any country other than India shall be required to comply with rules and regulations made under Section 118 of Motor Vehicles Act, 1988 of India.

4. **Motor Third Party Premium and liability rules for the Financial Year (FY) 2022-23:** This Ministry has issued a draft notification dated 17th March, 2022 regarding Motor Third Party Premium and liability rules for the Financial Year (FY) 2022-23. Through this notification, the premium rates for Motor Third Party Insurance Cover for various classes of vehicles have been prescribed for the Financial Year 2022-23 and beyond, till the time the new rates are notified. Comments and objections have been solicited from concerned stakeholders within a period of thirty days.

5. **Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility:** This Ministry issued the draft notification, GSR 192 (E) dated l0th March 2022 pertaining to

Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility Amendment) Rules, 2022. These amendments have been done to simplify and digitize the process of vehicle scrapping for all stakeholders in the ecosystem, such as vehicle owners, RVSF operators, dealers, regional transport authorities etc. on the basis of feedback received on the rules.

6. **Recognition, Regulation and Control of Automated Testing Stations (ATS):** This Ministry has issued a draft notification dated 25th March 2022 to carry out certain amendments in the rules for 'Recognition, Regulation and Control of Automated Testing Stations (ATS)", which were earlier published on 23rd September 2021. The draft rules propose amendments in eligibility criteria for establishing these stations, enabling vehicles registered in one state to be tested in another state, and the criteria to declare a vehicle as end-of-life vehicle.
7. **Meeting of the Consultative Committee of the Ministry:** Hon'ble Minister RTH chaired a meeting of Consultative Committee of MPs attached to the Ministry on 24th Match 2022. The theme of the deliberation in the meeting was "Road Safety". The Committee Members expressed their concern about the high number of accidents and deaths on road. It was emphasized that the number of road accidents and fatalities on roads across the country needs to be reduced through engineering, awareness and measures of enforcement. The important issues discussed during the meeting were rectification of black spots, requirement of widening of roads, provision of ambulance facilities and Trauma Care Facilities on National Highways.
8. **Inauguration of NH Projects in Rajasthan and Haryana**: Union Minister for Road Transport and Highways inaugurated 19 numbers of National Highways worth Rs 1,407 crore in the States of Rajasthan and Haryana. He also dedicated two highway projects of the length 96.78 kms worth Rs.2,334 crore in Sangali, Maharashtra on 26th March, 2022.
9. **Signing of MoU between NHAI/NHLML, NHIDCL and M/o. Tourism:** An MoU has been signed between NHAI /NHLML, NHIDCL of this Ministry and Ministry of Tourism. The MoU would facilitate leveraging expertise of M/o. Tourism and ITDC for developing Way-Side Amenities (WSAs) and View-Points at tourism places. This would further enable NHLML to construct world-class WSAs at tourism places across all the North Eastern States.
10. **Compensation through dedicated Bhoomirashi portal:** Ministry of Road Transport and Highways has issued 228 Land Acquisition Notifications and processed Land Acquisition Compensation of an amount of Rs.33,03,79,652.94 (after TDS)- through Bhoomi Rashi /PFMs, during the month of March, 2022.

11. **Standing Finance Committee (SFC) meetings:** In the month of March, 2022, 82 projects of length 2892.157 km and total capital cost of Rs. 48,907.13 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

*****

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषयः मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2022 माह का मासिक सारांश।

1. **राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सौंपा जानाः** मंत्रालय ने 2021-22 में मार्च तक 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, जबकि 2020-21 में मार्च तक 13,327 किलोमीटर का निर्माण किया गया था। यह उपलब्धि कोरोना महामारी होने के बावजूद है। पिछले वर्ष के 10,964 किलोमीटर की तुलना में इस अवधि के दौरान कार्य सौंपे जाने का आंकड़ा 12,731 किमी है।
2. **ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर के लिए उत्सर्जन मानदंडों (टीआरईएम IV) के कार्यान्वयन की तारीख को स्थगित करना:** इस मंत्रालय ने 31 मार्च 2022 की मसौदा अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानदंडों (टीआरईएम IV) के कार्यान्वयन की तारीख को 1 अप्रैल, 2022 से 1 अक्टूबर, 2022 तक यानी छह महीने तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर के लिए तीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां और आपत्तियां मांगी गई हैं।
3. **अंतर-देशीय गैर-परिवहन (निजी) वाहन नियम, 2022:** इस मंत्रालय ने अंतर-देशीय गैर-परिवहन (निजी) वाहन नियम, 2022 दिनांक 16.03.2022 के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की। इन नियमों में भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने पर अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (निजी) वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव है। देश में ठहरने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत परिचालन संबंधी दस्तावेज़, अर्थात् वैध आरसी, ड्राइविंग लाईसेंस/अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, बीमा पॉलिसी और पीयूसी, वाहन (वाहनों) के साथ रहने की आवश्यकता है। भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर तीसरा पक्ष प्रीमियम और देयता नियम:** इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर तीसरा पक्ष प्रीमियम और देयता नियमों के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2022 को मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के माध्यम से, विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए मोटर तीसरा पक्ष बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 और उससे आगे के लिए नई दरें अधिसूचित होने तक निर्धारित की गई हैं। तीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां और आपत्तियां मांगी गई हैं।

5. **वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य:** इस मंत्रालय ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संशोधन कार्य) नियम, 2022 से संबंधित 1 मार्च 2022 को मसौदा अधिसूचना, सा.का.नि 192 (अ) जारी किया। ये संशोधन , नियमों पर प्राप्त फीडबैंक के आधार पर वाहन मालिकों, आरवीएसएफ ऑपरेटरों, डीलरों, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों आदि जैसे इकोसिस्टिम में सभी हितधारकों के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए किए गए हैं।

6. **स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण:** इस मंत्रालय ने 'स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण' के नियमों में कुछ संशोधन करने के लिए दिनांक 25 मार्च 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जो पहले 23 सितंबर 2021 को प्रकाशित हुए थे। मसौदा नियम इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं, एक राज्य में पंजीकृत वाहनों को दूसरे राज्य में परीक्षण करने में सक्षम बनाते हैं, और एक वाहन के एंड आफ द लाईफ वाहन के रूप में घोषित करने के मानदंड को सक्षन बनाते है।

7. **मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक**: माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 24 मार्च, 2022 को मंत्रालय से जुडे सांसदों की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विचार-विमर्श का विषय "सड़क सुरक्षा" था। समिति के सदस्यों ने सड़क पर दुर्घटनाओं और मौतों की बडी संख्या पर चिंता व्यक्त की। इस बात पर जोर दिया गया कि इंजीनियरिंग, जागरूकता और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से देश भर में सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों पर होने वाली मौतों की संख्या को कम करने की जरूरत है। बैठक के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें ब्लैक स्पॉट का सुधार, सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता, एम्बुलेंस सुविधाओं का प्रावधान और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा केयर सुविधाएं शामिल थीं।

8. **राजस्थान और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन:** केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राजस्थान और हरियाणा राज्यों में 1,407 करोड़ रुपये के 19 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया। उन्होंने 26 मार्च, 2022 को सांगली, महाराष्ट्र में 2,334 करोड़ रुपये की 96.78 किलोमीटर लंबाई की दो राजमार्ग परियोजनाओं को भी समर्पित किया।

9. **एनएचएआई/एनएचएलएमएल, एनएचआईडीसीएल और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**: इस मंत्रालय के एनएचएआई/एनएचएलएमएल,एनएचआईडीसीएल और पर्यटन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन पर्यटन मंत्रालय और आईटीडीसी की पर्यटन स्थलों पर मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए) और व्यू-पॉइंट

विकसित करने के लिए विशेषज्ञता का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगा। यह एनएचएलएमएल को सभी पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय मार्गस्थ सुविधाएं बनाने में सक्षम बनाएगा।

10. **<u>समर्पित भूमिराशी पोर्टल के माध्यम से मुआवजा:</u>** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च, 2022 महीने के दौरान 228 भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं जारी की हैं और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 33,03,79,652.94 (टीडीएस के बाद) की राशि - भूमि राशि/ पीएफएम के माध्यम से संसाधित की है।

11. **<u>स्थायी वित्त समिति की बैठकेः</u>** एसएफसी द्वारा मार्च, 2022 के महीने में 2892.157 किमी लंबाई की और 48,907.13 करोड़ रूपये की कुल पूंजीगत लागत की 82 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

*****